

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा-प्र.अ./स्था.पद.संशोधन/2015/4656 जयपुर,दिनांक:

:: आदेश ::

11/12/17

निम्न पंचायत प्रसार अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान (कॉलम सं.4) पर पंचायत प्रसार अधिकारी के रिक्त पद पर तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	कहाँ से	कहाँ को
1	2	3	4
1.	श्री धर्मपाल चौधरी	पं.स. भीण्डर (उदयपुर)	पं.स. फलासिया (उदयपुर)
2.	श्री मनोज कुमार	पं.स. जायल (नागौर)	पं.स. बापिनी (जोधपुर)
3.	श्री भगवान सहाय मीणा	पं.स. देवली (टोंक)	जि.पं. जयपुर
4.	श्री कानदास वैष्णव	पं.स. मा.जक्शन (पाली)	पं.स. रायपुर (पाली)
5.	श्री साबीर मोहम्मद	पं.स. मा.जक्शन (पाली)	पं.स. रायपुर (पाली)
6.	श्री महबूब	पं.स. शाहपुरा (भीलवाडा)	पं.स. सुवाणा (भीलवाडा)
7.	श्री अनिल गर्ग	पं.स. नादौती (करौली)	पं.स. सपोटरा (करौली)
8.	श्री उग्रसेन बैरवा	पं.स. लवाण (दौसा)	पं.स. महवा (दौसा)
9.	श्री राजाराम मीना	पं.स. लालसोट (दौसा)	पं.स. बांदीकुई (दौसा)
10.	श्री धन्ना राम भील	पं.स. दातारामगढ़ (सीकर)	पं.स. राजगढ़ (चुरू)

यह आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग की आई.डी.संख्या 300/AS/AR-1/17 दिनांक 05.12.2017 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

(पूनम प्रसाद सागर)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक मा. संत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. जिला कलेक्टर संबंधित
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 300/AS/AR-1/17 दिनांक 05.12.2017 के क्रम में।
6. मुख्य/अति. मुख्य कायकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों को तत्काल कार्यग्रहण/कार्यमुक्त कर अविलम्ब पालना रिपोर्ट भिजवाये।
8. आदेश वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि राज्यादेशों की पालना में पदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।
9. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
10. आदेश पत्रावली

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त